



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 फाल्गुन, 1941 (श०)

संख्या- 168 राँची, बुधवार,

18 मार्च, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

13 मार्च, 2020

संख्या-03/मु0-03-04/2019 का.1905-- माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No. 5735/2009 चोन्हाती पन्ना बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 12.06.2019 को पारित न्यायादेश का मुख्य अंश निम्नवत् है :-

"In the light of above facts and circumstances of the case, this court is inclined to entertain this writ petition and accordingly, this court directs respondent no. 2 to consider the case of petitioner for promotion to the post of Joint Secretary with effect from 16.11.2004 i.e. the date when junior to the petitioner has been promoted and consequently the order dated 23.10.2010 issued by respondent no. 2 is set aside, so far as the petitioner is concerned."

2. उक्त न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.05.2004 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्रीमती चोन्हाती पन्ना की प्रोन्नति चारित्री के अभाव में लम्बित रखी गई थी तथा प्रोन्नति हेतु योग्य अनुशंसित इनसे कनीय पदाधिकारियों को अधिसूचना ज्ञापांक 117 दिनांक 16.11.2004 के द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई।

3. पुनः दिनांक 22.02.2006 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में श्रीमती पन्ना को विभागीय अधिसूचना जापांक 6453 दिनांक 02.12.2006 के द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई।

4. श्रीमती पन्ना के द्वारा उनसे कनीय श्री समसोन सोय को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि के पद पर दी गई प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नति देने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसे विभागीय आदेश संख्या 6348 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा अस्वीकृत किया गया।

5. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No.5735/2009 चोन्हाती पन्ना बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 12.06.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्रीमती पन्ना को उनसे कनीय पदाधिकारी को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि के पद पर प्रोन्नति की तिथि के भूतलक्षी प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान करने हेतु पुनः विचार किया गया।

6. श्री समसोन सोय (कोटि क्रमांक- 291/03) को विभागीय अधिसूचना जापांक 117, दिनांक 16.11.2004 द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी है।

7. सम्यक विचारोपरांत विभागीय आदेश संख्या 6348 दिनांक 23.10.2010 को विलोपित करते हुए वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2074 दिनांक 04.04.1985 की कंडिका- ii में निहित प्रावधान के आलोक में श्रीमती पन्ना (कोटि क्रमांक 207/03) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति की तिथि दिनांक 02.12.2006 के स्थान पर उनके कनीय पदाधिकारी श्री समसोन सोय को प्रोन्नत किये जाने की तिथि 16.11.2004 के भूतलक्षी प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

6. यह प्रोन्नति याचिका संख्या W.P.(S) 3795/2003 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।
